

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य

बनाम

नीरज कुमार सिंह

2 फ़रवरी 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटीजू, न्यायमूर्तिगण]

न्यायालय की अवमानना-अवमानना कार्यवाही-अनुकंपा नियुक्ति-रद्द करना-संस्थान द्वारा-एक अलग कार्यवाही में न्यायालय के निर्देश के अनुसार-कारण दिखाने का उचित अवसर देने के बाद-स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही की शुरुआत-आयोजित की गई औचित्य: नियुक्ति के बाद से निरर्थक साबित हुआ, अवमानना की कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं-सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति।

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-अनुकंपा नियुक्ति एक योजना को समाप्त कर देती है और संवैधानिक योजना का उल्लंघन करते हुए अवैध होगी और अमान्य कर दी जाएगी।

पुनर्निर्णय-प्रयोज्यता-धारित: जहां एक आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है जिसमें अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अभाव है, तो पुनर्न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे।

अपीलकर्ता-संस्थान के एक मृत कर्मचारी की विधवा ने अनुकंपा के आधार पर प्रतिवादी [मृतक के पोते] की नियुक्ति के लिए आवेदन किया। प्रारंभ में उन्हें दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया और 15 वर्षों के बाद उन्हें अस्थायी आधार पर नियमित नियुक्ति दी गई। इसके बाद विधवा ने अपने बेटे की नियुक्ति और प्रतिवादी की नियुक्ति रद्द करने की मांग की क्योंकि अनुरोध का पालन नहीं किया गया, उसने रिट याचिका दायर की, लेकिन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया। एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने की।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका के तहत कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि वह ऐसे किसी भी मामले को अपीलकर्ता-संस्थान के ध्यान में लाए जिसमें लंबे समय से देरी के बाद या अवैध रूप से नियुक्ति दी गई थी और संस्थान को कदम उठाने। याचिकाकर्ता ने इसमें प्रतिवादी का मामला अपीलकर्ता-संस्थान के ध्यान में लाया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को अवैध नियुक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

इसके बाद अपीलकर्ता-संस्थान ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और बाद में प्रतिवादी की नियुक्ति भी रद्द कर दी। रद्द करने के आदेश को प्रतिवादी द्वारा एक अलग रिट याचिका में भी चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता संस्थान के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की।

वर्तमान अपील में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू करना उचित था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए ;

अभिनिर्धारित:- 1.1. अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत एक राज्य है। इसलिए, नियुक्ति के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित समानता की संवैधानिक योजना को प्रभावी करना एक संवैधानिक दायित्व के तहत है। [पैरा 13]

1.2. किसी भी योजना में डी की अनुपस्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अवैध होगी। ऐसी योजना समानता की संवैधानिक योजना के अनुरूप होनी चाहिए। [पैरा 14] [191-सी-डी] पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह और अन्य, [2006] 13 स्केल 426; पर भरोसा।

1.3. सभी सार्वजनिक नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए अपवाद स्वरूप ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां नौकरी के दौरान मृत कर्मचारी की विधवा या आश्रित बच्चों को नियुक्तियां दी जानी हैं। ऐसा अपवाद यह देखने के लिए बनाया गया है कि काम के दौरान मृत कर्मचारी का परिवार निराश्रित न हो जाए। इसलिए, जिनके लाभ के लिए अपवाद बनाया गया है, उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को इसके तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। [पैरा 16[[191-एफ-जी]

भारत के महालेखा परीक्षक और अन्य बनाम जी अनंत राजेश्वर राव, [1994] जी आई एससीसी 192 और योगेंद्र पाल सिंह बनाम भारत संघ, एआईआर [1987] एससी 1015, पर भरोसा किया गया।

आंध्र प्रदेश सरकार, सामान्य प्रशासन, हैदराबाद और अन्य बनाम डी. गोपैया और अन्य, [2006] 6 एएलटी 553 [एफबी], संदर्भित।

1.4. इस प्रकार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल उसी व्यक्ति को दी जा सकती थी जो मृतक की विधवा या आश्रित बच्चा था। माना जाता है कि मृतक का बेटा अपने पिता की मृत्यु के समय केवल एक वर्ष का था। ऐसे में उन्हें अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती। यह सच हो सकता है कि विधवा ने प्रतिवादी के पक्ष में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए आवेदन दायर किया था। लेकिन, अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि वह मृतक का स्वाभाविक पोता नहीं था, बल्कि उसके चचेरे भाई का पोता था। इसलिए, वह संस्थान की योजना के अनुसार नियुक्ति का हकदार नहीं था। इसलिए, संस्थान ने उन्हें ऐसी नियुक्ति देकर अवैधता की है। इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर कथित नियुक्ति मृतक की मृत्यु की तारीख से 15 साल से अधिक समय के बाद दी गई थी। [पैरा 22]

1.5. यदि प्रतिवादी की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना थी और ऐसी नियुक्ति अपीलकर्ता के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई थी, तो वह अमान्य थी। इस तथ्य के मद्देनजर इसे अंतिम रूप दिया गया कि विधवा की रिट याचिका खारिज कर दी गई

थी। इसके बावजूद, इस प्रकृति के मामले में न्यायिक निर्णय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। यह सर्वविदित है कि जहां कोई आदेश ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है जिसमें अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अभाव है, तो पूर्व न्यायिक सिद्धांत लागू नहीं होंगे, जो कि शून्यता है। [पैरा 231 [194-एफ-जी]

ए.पी. के मुख्य न्यायाधीश बनाम एल. बनाम. दीक्षितुलु, [1979] 12 एससीसी 34 और भारत संघ बनाम प्रमोद गुप्ता [एलआर द्वारा डीजे। और अन्य, [2005] 12 एससीसी एल, पर भरोसा किया

1.6. इसके अलावा, संवैधानिक योजना के उल्लंघन में कोई भी नियुक्ति भी रद्द कर दी जाएगी। [पैरा 241 [194-एच]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य, [2006] 4 एससीसी 1, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमैन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, [2006] 12 स्केल 1, नगर निगम, जबलपुर बनाम ओम प्रकाश दुबे, [2006] 13 स्केल 266; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और अन्य बनाम सोमवीर सिंह [2006] 6 स्केल 101 और पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बड़ोद बनाम रारिजोध सिंह पर भरोसा किया गया।

2.1. यदि उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, भले ही एक अलग कार्यवाही में, अपीलकर्ता - संस्थान ने प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और उसे कारण बताने का अवसर देने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं, तो इसे माना जाना चाहिए नेकनीयती से काम किया है। इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए। [पैरा 271 -[195-डी]

2.2. इसके अलावा, प्रतिवादी की रिट याचिका पर अभी योग्यता के आधार पर सुनवाई होनी बाकी है। रिट याचिका का निपटारा होने से पहले, न्यायाधीश को अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए थी और विशेष रूप से तब जब उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य

आदेश को प्रभावी करने के लिए ऐसा किया गया था [यह मानते हुए कि यह गलत था]। [पैरा 28] [195-ई] सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: की सिविल अपील संख्या 429/ 2007.

डब्ल्यू.पी. में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 8.5.2006 और 16.5.2006 से। [एस] संख्या 2378/2005।

अपीलकर्ताओं के लिए पुनित दत्त त्यागी, अजय चौधरी और निमिष गुप्ता।

प्रतिवादी की ओर से राणा मुखर्जी और अजीत कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया ;

एस.8. सिन्हा, न्यायमूर्ति - अनुमति प्रदान की गई ;

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत स्वतः संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही में पारित दिनांक 8.05.2006 और 16.05.2006 के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ निर्देशित है।

3. एक श्री बी.पी. सिन्हा अपीलकर्ता संस्थान में कार्यरत एक वरिष्ठ स्टोरकीपर थे। वह अपने पीछे अपनी विधवा श्रीमती को छोड़कर मर गये। 17.06.1986 को विद्या देवी। कथित तौर पर, उसने अनुकंपा के आधार पर प्रतिवादी की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। यह दावा किया गया था कि वह उक्त स्वर्गीय श्री 8.पी. का पोता था। सिन्हा. उन्हें 14.02.1987 को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को समय-समय पर बढ़ाया गया था।

4. लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद, यानी 16.04.2001 को, प्रतिवादी ने नियमित आधार पर अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन किया। कथित तौर पर

कथित विद्या देवी द्वारा इसके समर्थन में शपथ पत्र दायर किए गए थे; उसके अनुसरण में और उसके आगे, प्रतिवादी को अस्थायी आधार पर चौकीदार के पद पर, यानी चतुर्थ श्रेणी ग्रेड में नियुक्ति दी गई थी। 14.12.2001 को, उक्त विद्या देवी ने अपने बेटे आशुतोष कुमार की नियुक्ति की मांग की और दावा करते हुए 4. प्रतिवादी की नियुक्ति को रद्द करने का भी अनुरोध किया। चूँकि उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया, उसने झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे दिनांक 10.01.2002 के एक निर्णय और आदेश के आधार पर यह कहते हुए खारिज कर दिया गया:-

"4. जवाबी हलफनामे में बताए गए सभी तथ्यों से, जो दस्तावेजों द्वारा समर्थित हैं, प्रथम दृष्टया, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने रिट आवेदन के पैरा 8 और 9 में गलत बयान दिए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। यदि विवाद जवाबी हलफनामे में दिए गए प्रत्यर्थीओं की राय निर्णायक रूप से साबित हो जाती है, तो याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जाएगा और कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

5. जहां तक याचिकाकर्ता के अपने बेटे आशुतोष कुमार की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे का सवाल है, यह गलत है। माना जाता है कि याचिकाकर्ता के बेटे का जन्म 1985 में हुआ था और याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 1986 में हुई थी। दूसरे शब्दों में, 1986 में जब याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु हुई, तो उसका बेटा एक साल तीन महीने का नाबालिग था। वयस्क होने यानी 18 साल के बाद याचिकाकर्ता के बेटे को अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जहां तक राहत का सवाल है, रिट आवेदन खारिज किया जाता है।

6. आदेश से अलग होने से पहले मुझे यह देखना होगा कि प्रतिवादी आरआईटी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा जिन्होंने गलत प्रतिनिधित्व किया है और हलफनामा दायर किया है।"

5. इसके विरुद्ध एक पत्र पेटेंट याचिका दायर की गई थी, जिसे उक्त उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने दिनांक 11.07.2002 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

6. एक अलग याचिका में, एक मिथिलेश कुमार ने इस आधार पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मांग की कि उनके पिता, जो संस्थान की सेवा में थे और 5.01.1988 को उनकी

मृत्यु हो गई; जिसमें उक्त उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे इस आधार पर खारिज करते हुए कहा कि उनके पिता की मृत्यु की तारीख को काफी समय बीत चुका है:-

"यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से देरी के बाद नियुक्ति दी गई है, जैसे कि हाल ही में मृत्यु के लगभग 12 साल बाद, पिछले एक साल के भीतर या किसी व्यक्ति को गलत जानकारी देकर अवैध रूप से नियुक्त किया गया है, तो याचिकाकर्ता इसे संज्ञान में ला सकता है। प्राचार्य, आर.आई.टी.जमशेदपुर, जो देखभाल करेंगे। ऐसे मामले में, यदि नियुक्ति के मामले में कोई अवैधता पाई जाती है, तो प्राधिकारी संबंधित पक्ष को नोटिस के बाद उचित आदेश पारित कर सकते हैं।"

7. अपीलकर्ता संस्थान के प्राचार्य को उक्त मिथिलेश कुमार का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कई व्यक्तियों को लगभग 0 वर्ष की लंबी देरी के बाद नियुक्ति दी गई थी। इसमें प्रतिवादी का नाम भी शामिल है। यह अनुरोध किया गया था: इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मामले को ध्यान से देखें और आवश्यक कदम उठाएं और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मामले में उचित आदेश पारित करें।"

8. उक्त मिथिलेश कुमार द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त विद्वान न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, अपीलकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। इसके द्वारा कारण दर्शाया गया। दिनांक 7.03.2003 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया:

"इन परिस्थितियों में, मैं विपक्षी दलों को छह सप्ताह का अतिरिक्त समय देता हूं। सक्षम प्राधिकारी अवैध नियुक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है और उनसे जवाब देने के लिए कह सकता है कि अनुकंपा के आधार पर अवैध नियुक्ति के कारण उनकी सेवा क्यों समाप्त की जा रही है। तीन सप्ताह का समय ऐसे कर्मचारियों को दिया जा सकता है।

ऐसा जवाब मिलने पर वे इसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि इतने विलंब के बाद योजना के विपरीत किसी अन्य की नियुक्ति अवैध तरीके से की गयी है या नहीं. ऐसी जांच के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। इसके बाद, ओपी एक सप्ताह के भीतर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से आवश्यक आदेश प्राप्त करेंगे और कानून के अनुसार उचित आदेश जारी करेंगे।

यदि छह सप्ताह की उक्त अवधि के भीतर अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता निदेशक, एनआईटी, जमशेदपुर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए इसे अदालत के ध्यान में ला सकता है।

9. उसके बाद अपीलकर्ता द्वारा कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके संदर्भ में प्रतिवादी को कारण बताने के लिए कहा गया था कि उसकी एफ नियुक्ति रद्द क्यों नहीं की जाएगी। उसके अनुसरण में कारण दर्शाया गया। इसके बाद प्रतिवादी की नियुक्ति दिनांक 1.03.2005 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए रद्द कर दी गई:-

"हमने आपके उत्तरों की तथ्य का अध्ययन किया है और उस पर विचार करने के बाद, क्योंकि आपके द्वारा कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था, आपका उक्त उत्तर असंतोषजनक पाया गया है। यह कोई अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही नहीं है और आयोग के तहत सुनवाई के लिए आपका अनुरोध है पृष्ठछाछ अधिनियम स्वीकार्य नहीं है.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और अवमानना मामले [सिविल] संख्या 866 ऑफ 2002 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 11.03.03 के निर्देश के अनुसरण में, हम एनआईटी जमशेदपुर से आपकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हैं, अर्थात् दिनांक से। इस पत्र का जारी होना।"

10. उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश पर प्रश्न उठाया गया। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी:-

"10. उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, प्रतिवादियों ने अवमानना मामले में पारित आदेश के आधार पर दिनांक 01.03.2005 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को बिना कोई अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही शुरू किए समाप्त कर दिया, हालांकि याचिकाकर्ता पिछले 15-16 वर्षों से सेवा में बना हुआ था वास्तव में, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करके, प्रत्यर्थी ओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किए गए फैसले का उल्लंघन किया है।

11. ऊपर वर्णित सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि इस मामले में दायर जवाबी हलफनामे में प्रत्यर्थी ओं के तर्क की सराहना नहीं की जा सकती है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि समाप्ति का आदेश पारित करते समय, प्रत्यर्थी ओं ने वास्तव में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की अनदेखी की है और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

12. हालाँकि, उचित आदेश पारित करने से पहले, मैं प्रतिवादी संख्या को निर्देशित करता हूँ। 2 और 3, अर्थात् निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर और रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर को 16.05.2006 को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

11. यह निर्देशित किया गया कि अवमाननाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे और यदि वे चाहें तो कारण बताओ दाखिल करेंगे। उनके द्वारा शोर्काज दायर किया गया था. अपीलकर्ता संस्थान के रजिस्ट्रार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अपीलकर्ता संस्थान के निदेशक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि समाप्ति का आदेश संस्थान के तत्कालीन निदेशक डॉ. डी. भट्टाचार्य द्वारा पारित किया गया था। उक्त दावों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने कहा:-

"प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पी.के. प्रसाद ने निर्देश पर कहा कि डॉ. डी. भट्टाचार्य वर्तमान में आई.एल.टी. खड़गपुर में कार्यरत हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को डॉ. भट्टाचार्य को पार्टी प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया जाता है। कथनों पर विचार करते हुए आईए याचिका में किए गए इस मामले को 29.06.2006 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ताकि वर्तमान निदेशक को कारण बताओ दायर करने और याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश पर पुनर्विचार करने और मामले में निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। याचिकाकर्ता को एक कदम उठाना होगा वर्तमान निदेशक को पंजीकृत डाक और कूरियर दोनों द्वारा नोटिस की सेवा के लिए, जिसके लिए एक सप्ताह के भीतर कदम उठाया जाना चाहिए।

12. विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकृति की स्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना उचित था और वह भी स्वतः संज्ञान लेकर।

13. माना कि, अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत एक राज्य है। इसलिए, नियुक्ति के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित समानता की संवैधानिक योजना को प्रभावी बनाना एक संवैधानिक दायित्व के तहत है।

14. किसी भी योजना के अभाव में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति अवैध होगी। ऐसी योजना समानता की संवैधानिक योजना के अनुरूप होनी चाहिए।

15. पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह और अन्य, [2006] 13 स्केल 426 में इस न्यायालय ने देखा है:-

"... वैधानिक निकाय वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित भर्ती के नियमों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' होने के नाते, समानता की संवैधानिक योजना को लागू करने के

लिए बाध्य हैं। न ही वैधानिक निकाय ऐसे संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर सकते हैं, न ही राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत दिए गए संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत या असंगत कोई निर्देश जारी कर सकता है..."

16. सभी सार्वजनिक नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए अपवाद स्वरूप ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां नौकरी के दौरान मृत कर्मचारी की विधवा या आश्रित बच्चों को नियुक्तियां दी जानी हैं। इस तरह का अपवाद यह देखने के लिए बनाया गया है कि काम के दौरान मृत कर्मचारी का परिवार बेसहारा न हो जाए। इसलिए, जिनके लाभ के लिए अपवाद बनाया गया है, उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को इसके तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

17. भारत के महालेखा परीक्षक और अन्य बनाम जी. अनन्या राजेश्वर राव, [1994] प्रथम धारा 192 में इस न्यायालय ने कहा:

"5. ज्ञापन में इन विभिन्न खंडों को पढ़ने से पता चलता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति न केवल बेटे, बेटी या विधवा को होगी, बल्कि निकट रिश्तेदार को भी होगी जो अस्पष्ट या अपरिभाषित थी। एक व्यक्ति जो काम पर मर जाता है और जिसका परिवार के सदस्यों को नियुक्ति प्रदान करने की तत्काल राहत की आवश्यकता है ताकि परिवार के कमाने वाले को खोने से आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अनुकंपा उपचार की आवश्यकता हो। लेकिन नियमित भर्ती से बचने के लिए एक नियम बनने के लिए सभी संभावित घटनाओं की गणना की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सूचीबद्ध घटनाएँ अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के दुरुपयोग के लिए आधार बन सकती हैं। अनुच्छेद 16[3] से 16[5] में अपवाद प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा अपवाद संवैधानिक रूप से वैध और अनुमेय आधार पर होना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि नियुक्ति वंश के आधार पर स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 16[2] का उल्लंघन है। लेकिन, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि नियुक्तियाँ मृत सरकारी

कर्मचारी के बेटे/बेटी या विधवा तक ही सीमित हैं, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई और जिन्हें तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता है परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य न होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कमाने वाले की आय के नुकसान की पूर्ति के लिए सहायता की तत्काल आवश्यकता के आधार पर, यह अपरिहार्य है। लेकिन अन्य मामलों में अनुकंपा के आधार पर व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त करने के लिए जापन का लाभ उठाना कोई नियम नहीं हो सकता है।"

18. योगेन्द्र पाल सिंह बनाम भारत संघ, एआईआर [1987] एससी 1015 में, इस न्यायालय ने कहा:-

"यद्यपि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति हो सकती है जो सेवा के दौरान मरने वाले पुलिस अधिकारी का बेटा है या जो पुलिस विभाग में सेवा प्रदान करते समय अक्षम है, एक प्रावधान जो बच्चों या आश्रितों या अन्य को नियुक्ति का अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है पुलिस अधिकारियों के रिश्तेदार या तो सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हैं, केवल इसलिए कि वे ऐसे पुलिस अधिकारियों के बच्चे या आश्रित या अन्य रिश्तेदार हैं, संविधान के अनुच्छेद 16 के विपरीत होगा।"

19. आंध्र प्रदेश सरकार, सामान्य प्रशासन, हैदराबाद और अन्य बनाम डी. गोपैया और अन्य, [2006] 6 एएलटी 553 [एफबी] में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने उपरोक्त एच. फैसले पर गौर करते हुए राय दी:-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के कारण, भारत के लोगों के मन में बड़ी आशाएँ और आकांक्षाएँ पैदा हुईं कि रोजगार वंश पर नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक रोजगार को सार्वजनिक धन माना जाता है। की अर्थव्यवस्था राज्य ने कृषि से सार्वजनिक रोजगार की ओर झुकाव कर लिया है और रोजगार की वृद्धि दर बढ़कर 34% हो गई है। स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में कोई अपवाद नहीं है।"

20. आगे कहा गया:-

"केवल सीमित स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति देने से संबंधित मामले ने सार्वजनिक रोजगार में अपनी जड़ें जमा लीं। राज्य और केंद्र सरकारों ने कई परिपत्र जारी किए, विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए और समय-समय पर अपने नीतिगत निर्णय भी बदले, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हुई। राज्य द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और उससे उत्पन्न होने वाले मुकदमों के पैटर्न का बारीकी से अध्ययन करने से हमें योजनाओं के घोर दुरुपयोग और सुरक्षा उपायों की अंतर्निहित कमी के बारे में न्यायिक नोटिस मिलता है।

उपरोक्त प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले, हम देख सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं कहा था कि आंध्र प्रदेश राज्य में, कोई नियुक्ति नहीं की गई थी क्योंकि 1987 से प्रतिबंध लागू था। नियुक्तियाँ केवल अनुबंध के आधार पर की जा रही हैं ऐसी योजनाएं, जो वास्तव में भर्ती नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती हैं। सेवाओं के नियमितीकरण की लोकलुभावन योजना से काफी रोजगार पैदा होता है। विस्थापितों के लिए रोजगार की योजनाएँ हैं, अधिग्रहीत परियोजनाओं की सेवाएँ लेने की योजनाएँ हैं, भूमिहीनों की सेवाएँ लेने की योजनाएँ हैं, इत्यादि। कोई व्यक्ति उपरोक्त योजनाओं के तहत या अनुबंध के आधार पर, राजनीतिक दबाव पर, ट्रेड यूनियनों की मांग पर और गैर-सरकारी संगठनों के दबाव पर भी नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। मामले की कुल बात यह है कि जब तक उसके मामले को आगे बढ़ाने वाला कोई न हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत किसी नागरिक को आम तौर पर रोजगार नहीं मिल सकता है। अधिकांश जी आबादी को रोजगार प्राप्त करने के लिए स्पष्ट कार्यक्रमों के विरोधाभास का सामना करना पड़ता है।

चिकित्सा अमान्यता पर अनुकंपा नियुक्ति देने की योजनाओं को, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, व्यापक और व्यापक बनाया गया है। राज्य ने किसी न किसी कारण से सार्वजनिक रोजगार के अनुदान के अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों के साथ समझौता किया है और संवैधानिक मानदंडों से भटक गया है; कभी-कभी इसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दायरा और दायरा इतना बढ़ा दिया कि उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इस संबंध में राज्य का नीतिगत निर्णय कभी भी ठोस नहीं रहा। उन्होंने संबंधित अधिकारी की इच्छा और सनक के आधार पर अलग-अलग समय पर अलग-अलग कदम उठाए या कर्मचारी संघों के दबाव पर कार्रवाई की।

इस संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की व्याख्या करने वाले कानून में भी उतार-चढ़ाव आया है।

21. उन्होंने अपीलकर्ता-संस्थान ने एक योजना बनाई है। उक्त योजना को इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

22. इस प्रकार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल उस व्यक्ति को दी जा सकती थी जो मृतक की विधवा या आश्रित बच्चा था। माना जा रहा है कि मृतक का बेटा आशुतोष कुमार अपने पिता की मौत के वक्त महज एक साल का था। ऐसे में उन्हें अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती। यह सच हो सकता है कि श्रीमती. विद्या देवी ने प्रतिवादी के पक्ष में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए आवेदन दायर किया। लेकिन, अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि वह स्वर्गीय श्री बी.पी. के स्वाभाविक पोते नहीं थे। सिन्हा लेकिन उनके चचेरे भाई के पोते थे। इसलिए, वह संस्थान की योजना के अनुसार नियुक्ति का हकदार नहीं था। इसलिए, संस्थान ने उन्हें ऐसी नियुक्ति देकर अवैधता की है। इसके अलावा कथित तौर पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति 2001 में दी गई थी, यानी, उक्त श्री बी.पी. सिन्हा की मृत्यु की तारीख से 15 साल से अधिक समय के बाद।

23. यदि प्रतिवादी की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध थी और एफ क्षेत्राधिकार के बिना थी और ऐसी नियुक्ति अपीलकर्ता के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई थी, तो वह अमान्य थी। हालाँकि, हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि उक्त विद्या देवी की रिट याचिका खारिज होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम रूप दिया गया। इसके बावजूद, इस प्रकृति के मामले में न्यायिक निर्णय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। यह सर्वविदित है कि जहां एक आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है जिसमें अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अभाव होता है, तो रेस जितिदिकाटा के सिद्धांत लागू नहीं होंगे, जो कि शून्यता है। [ए.पी. बनाम एल. के मुख्य न्यायाधीश देखें -दीक्षितुलु, [1979] 2 एससीसी 34 और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रमोद गुप्ता [डी] एलआर द्वारा। और अन्य, [2005] 12 एससीसी 1]

24. इसके अलावा, संवैधानिक योजना एच के उल्लंघन में कोई भी नियुक्ति भी रद्द कर दी जाएगी। [देखें सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य, [2006] 4 एससीसी एल, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमैन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, [2006] 12 स्केल 1, नगर निगम, जबलपुर बनाम ओम प्रकाश दुबे, [2006] 13 स्केल 266। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और अन्य बनाम सोमवीर सिंह, [पूर्व] [2006] 6 स्केल 101 और रणजोध सिंह।

25. इसलिए, उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।

26. हम, इसके अलावा, देख सकते हैं कि मिथिलेश कुमार द्वारा दायर रिट याचिका में, इस न्यायालय ने कुछ टिप्पणियाँ कीं। उनके द्वारा एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी जिसमें कुछ निर्देश जारी किए गए थे।

27. यदि उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, भले ही एक अलग कार्यवाही में, अपीलकर्ता संस्थान ने प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और उसे कारण बताने का अवसर देने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं, तो यह माना जाना चाहिए नेकनीयती से काम किया है। इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए।

28. इसके अलावा, प्रतिवादी की रिट याचिका पर अभी योग्यता के आधार पर सुनवाई होनी बाकी है। रिट याचिका का निपटारा होने से पहले, हमारी राय में, विद्वान न्यायाधीश को अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए थी और विशेष रूप से तब जब उच्च द्वारा पारित किसी अन्य आदेश को प्रभावी करने के लिए ऐसा किया गया हो [यह मानते हुए कि वह गलत था] अदालत।

29. इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णयों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिन्हें तदनुसार रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार लागत के सम्बन्ध में बिना किसी आदेश के अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

के.के.टी.

अपील की अनुमति.

चंद्रकांत शुक्ल की देखरेख में शशिप्रभा द्वारा अनुवादित।